प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर
ऑर्डर आरक्षित दिनांक 01.03.2021
आदेश पारित दिनांक 12.04.2021
डब्लूपी(227) वर्ष 2021 का 22

- एसईडब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 6–3–871
  स्नेहलता, ग्रीनलैंड् रोड, बेगमपेट,
  हैदराबाद(तेलंगाना) 5000016..**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य,
   द्वारा प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
   उद्योग भवन, रिंग रोड नं.01 तेलीबांधा रायपुर, छ0ग0
2. निदेशक, उद्योग विभाग,
   उद्योग भवन, रिंग रोड, नं. 01
   तेलीबांधा रायपुर, छ0ग0
3. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग सुविधा परिषद,
   द्वारा सभापति, उद्योग भवन, रिंग रोड, नं.01
   तेलीबांधा रायपुर,छ0ग0
4. कोर फैब प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, 141/21,
   द्वितीय तल मातोश्री कॉम्पलैक्स, स्टील सिटी हॉस्पिटल के
   सामने, महाराजा चौंक दुर्ग, छ0ग0.

....**उत्तरवादी**

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अमित सोनी, अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 के लिए : श्री बी0पी0 बंजारे, उप महाधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 4 के लिए : श्री पी0आर0 पाटंकर, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत

(सीएवी आदेश)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

<u>**12.04.2021**</u>

1. यह याचिका प्रत्यर्थी क्रमांक 03 के समक्ष दिनांक 18.09.2018 के संदर्भ के लिए आवेदन पर कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत् लाई गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रतिवादी क्रमांक 04 ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 संक्षेप में अधिनियम 2006 की धारा 18 के तहत सुविधा परिषद अर्थात प्रत्यर्थी क्रमांक 03 के समक्ष दिनांक 18.09.2018 को एक आवेदन प्रस्तुत किया इस आवेदन पर प्रत्यर्थी क्रमांक 03 के द्वारा विचार किया गया और उस पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर उपस्थित होने की कार्यवाही की गई।

3. यह निवेदन किया गया कि, इस प्रकार शुरू की गई कार्यवाही अधिनियम 2006 की धारा 18 के विपरीत है। अधिनियम की धारा 18(2) में प्रावधान है कि, उपधारा(1) के अंतर्गत संदर्भ प्राप्त होने पर या तो, परिषद मामले में स्वयं सुलह करेगी या सुलह कराने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था या केन्द्र के समक्ष निर्देश प्रस्तुत कर सहायता मांगेगी, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 65 से 81 के उपबंध इस प्रकार के विवाद होंगे क्योंकि सुलह इस अधिनियम के भाग–03 के अंतर्गत प्रारंभ की गई। याचिकाकर्ता ने इस प्रकार सुलह हेतु कोई नोटिस नहीं दी है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **Haresh Dayaram Thakur Vs. State of Maharashtra & Ors, (2000) 6 SCC 179,** Judgement of High COURT of Gauhati in **Oil & Natural Gas Corporation Ltd. & Anr. Vs. Government of Assam & Ors.** reported in **2009 SCC OnLine Gau -7,** judgement of Madras High Court in **M/s. Ramesh Conductors P. lTD. Vs. M & SE Facilitation Council & Ors.** reported in **2015 SCC Online Mad 13110** and on the judgement of High Court of Judicature at Patna in **Civil Writ Jurisdiction Case No. 14884 of 2016** between **Reliance Communications Ltd. Vs. The State of Bihar & Ors.,** निर्णय दिनांक 11. 04.2017 पर निर्भरता व्यक्त किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि, इन सभी निर्णयों में यह स्पष्ट पाया गया कि, धारा 18(2) अधिनियम 2006 के तहत सुलह की कार्यवाही आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना की गई है कि, प्रत्यर्थी क्रमांक 03 को संदर्भ का निराकरण करने के पूर्व अधिनियम 2006 की धारा 18(2) के उपबंधो का पालन करें।

5. प्रत्यर्थी क्रमांक 04 के अधिवक्ता द्वारा याचिका का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि, प्रत्यर्थी क्रमांक 03 द्वारा अधिनियम 2006 के अंतर्गत दिये गये प्रक्रिया का पालन किया गया है। अधिनियम 2006 की धारा 18(5) में प्रकरण के निराकरण हेतु समय को निर्धारित किया गया है तथा उक्त समयावधि पूर्व में ही पार हो चुकी है। यह निवेदन किया गया है कि, याचिकाकर्ता द्वारा उध्दृत न्यायदृष्टांत वर्तमान मामले पर लागू नहीं है। माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **Gujrat High Court in Principal Chief Engineer Vs. Manibhai & Brothers (Sleeper) and Anr.,** reported in **AIR 2012 GUJRAT 44**, the judgement of Bombay High Court in **M/s. Steel Authority of India Ltd. & Anr. Vs. Micro, Small Enterprise Facilitation Council,** reported in **AIR 2012 BOMBAY 178** and judgement of High Court Of Madras in **Prime Technologies & Ors. Vs. Hamsa Watch Glass Pvt. Ltd.** in O.S.A. No. 246 of 2015 and M.P. No. 1 of 2015 निर्णय दिनांक 25.11.2015 पर निर्भरता व्यक्त करते हुए निवेदन किया गया कि, प्रकरण सुविधा परिषद के समक्ष लंबित है इस कारण वर्तमान याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, उसे निरस्त किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उत्तर में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि, अभी तक याचिकाकर्ता को किसी सुलह कार्यवाही की जानकारी नहीं है। अतः प्रार्थना की गई कि, याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाये एवं उसे अनुतोष प्रदान किया जाये।

7. मैंने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर पेश अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. प्रत्यर्थी क्रमांक 4 ने मीटिंग के मिनट्स के प्रति प्रस्तुत की है। मीटिंग के खण्ड क्रमांक 20 में याचिकाकर्ता एवं प्रत्यर्थी के मध्य प्रस्तुत प्रकरण का उल्लेख है। यह उल्लेखित है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 13.01. 2020 को सूचना की तामिली हुई थी, जिसमें दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति हुई थी एवं उसके पश्चात् दिनांक 06.04.2019 को जवाबदावा प्रस्तुत किया। यह उल्लेखित है कि दोनों पक्ष को अधिनियम 2006 की धारा 18(2) के तहत विवाद के समझौते का अवसर दिया गया। पक्षकारों ने बातचीत करी, परन्तु किसी शर्त पर नहीं पंहुचे, इसलिए परिषद ने दिनांक 15.12.2020 को आदेश दिया कि दोनो पक्षकार शर्तो पर नहीं पंहुचे, इसलिए अधिनियम 2006 की धारा 18(2) के तहत कार्यवाही समाप्त एवं अधिनियम की धारा 18(3) के तहत कार्यवाही प्रारंभ।

9. अधिनियम 2006 की धारा 18(2) यह निर्देश देती है कि परिषद प्रकरण में स्वयं वैकल्पिक समाधान सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी संस्था या केन्द्र की सहायता मांगेगी। प्रावधान में एक मात्र शब्द जो उपयोग किया गया है वह समझौता है। यद्यपि समझौता शब्द मध्यधता या सुलह अधिनियम 1996, सिविल प्रक्रिया की धारा 89 एवं अधिनियम 2006 में तथा अन्य अधिनियम में भी उल्लेखित पाया जाता है, किन्तु यह शब्द इनमें से किसी भी अधिनियम में परिभाषित नहीं है। सुलह वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र मे अपनाये जाने वाली प्रक्रिया है, जिसमें तटस्थ व्यक्ति विवाद में शामिल पक्षों को उनके बीच विवाद को हल करने के लिए समझौते पर आने का प्रस्ताव देता है। इसके अलावा मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 सुलह के लिए विशिष्ट प्रावधान है। इसलिए 'समझौता' शब्द का अर्थ 'सुलह' शब्द से अलग है। एक समझौते में दोनों विवाद में शामिल पक्ष एक–दूसरे से सुलह के लिए बातचीत करते हैं जबकि समझौते की प्रक्रिया में एक तटस्थ व्यक्ति पक्षकारों के मध्य विवाद या समझौता कराने के लिए शामिल होता है एवं समझौता के लिए अवसर देना अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा।

10. **Haresh Dayaram Thakur (Supra)** के प्रकरण जो कि याचिकाकर्ता पक्ष द्वारा उल्लेखित है में यह स्पष्टतः निर्धारित किया गया कि अधिनियम 2006 की धारा 18(3) के तहत आगे सुविधा परिषद द्वारा कार्यवाही करने के पूर्व सुलह आवश्यक है। **M/S. Steel Authority of India limited (Supra)** के प्रकरण में बाम्बे उच्च न्यायालय में निर्धारित किया है कि क्योकि पक्षकारों के मध्य पृथक से मध्यक्षता की प्रक्रिया थी इसलिए परिषद को अधिनियम 2006 की धारा 18(3) के तहत कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। यहॉ इस प्रकरण में परिस्थितयॉ अलग है क्यों आदेश पत्रिका एवं मिटिंग के विवरण में यह उल्लेखित नहीं है कि प्रत्यर्थी कमांक 3 के द्वारा कोई सुलह प्रक्रिया की गई। **Prime Technology (Supra),** के प्रकरण में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि निष्पदान के इस स्तर पर कार्यवाही की जानी चाहिए, जो कि वर्तमान में इस मामले का प्रकरण नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में उच्च न्यायालय को इस प्रकार के प्रकरणों में पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है। Shalini Shyam Shetty & Anr vs Rajendra Shankar Patil (2010) 8 SCC 329 एवं अन्य विभिन्न निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया है कि, उच्च न्यायालय पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि, न्यायालय एवं अधिकरण अपनी अधिकारिता के तहत् कार्य करें। वर्तमान प्रकरण में बैठक के विवरण, जिसके बारे में उपर उल्लेख किया गया है से पता चलता है कि, पक्षों को समझौता करने एवं शर्तो के लिए बातचीत करने का अवसर दिया गया था और पक्ष इसमें विफल रहे, जिसके बाद अधिनियम

2006 की धारा 18(2) के तहत कार्यवाही बंद कर दी गई और सुविधा परिषद में अधिनियम की धारा 18(3) के तहत कार्यवाही करने का आदेश दिया है। मेरे विचार में अधिनियम 2006 की धारा 18(2) के तहत कार्यवाही अभी भी समाप्त नहीं हुई है क्योंकि सुलह की कार्यवाही नहीं हुई है इसलिए यह माना जाता है कि, प्रत्यर्थी क्रमांक 03 या तो स्वयं को शामिल करने या प्रकरण को वैकल्पिक विवाद समाधान सेवायें प्रदान करने वाली संस्था या केन्द्र को सौंप कर अधिनियम 2006 की धारा 18(2) के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है।

12. इसलिए प्रत्यर्थी क्रमांक 03 का अधिनियम 2006 की धारा 18(3) के तहत कार्यवाही का अनादेश अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है जिसमें इस याचिका द्वारा हस्तक्षेप की मांग की गई। अतः यह याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी क्रमांक 03 को अधिनियम 2006 की धारा 18(2) के तहत सुलह की कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाता है जो कि उपर बताये अनुसार कड़ाई से सुलह प्रक्रिया होना चाहिए, जो कि अधिनियम 2006 की धारा 18(3) के तहत कार्यवाही शुरू करने के पहले या आगे, सुविधा परिषद द्वारा स्वयं या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवायें प्रदान करने वाली संस्था द्वारा की जा सकती है।

13. तद्अनुसार याचिका का निराकरण किया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Sd/-
(राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**